न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनील शर्मा , R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2022 **दायर तारीख :–** 20-01-2022

1. अजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति अहीर निवासी जाखनी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)।
2. मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी हॉस्पिटल रोड, बहरोड जिला अलवर (राजस्थान)।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्थाई निषेधाज्ञा

सीमाचिन्ह स्थापित करवाये जाने बाबत

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 08.02.2022

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नीलका पटवार हल्का ढाणी गैसकान के खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 254/0.01, 257/0.8784 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8884 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार विराटनगर के आदेश कमांक–भू0अ0/2022/04 दिनांक 18.01.2022 की पालना में दिनांक 19.01.2022 को आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान करवाना चाहा परन्तु कुछ अज्ञात लोगों ने सीमाज्ञान कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने लगे। प्रार्थीगण ने काफी समझाईश की, परन्तु उक्त व्यक्तियों ने पटवारी को सीमाज्ञान संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करने दी। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम नीलका पटवार हल्का ढाणी गैसकान के खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 254/0.01, 257/0.8784 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8884 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाने का निर्णय आदेश तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर को फरमावें। तथा तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर द्वारा दौरान कार्यवाही पत्थरगढी स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने में किसी प्रकार की बाधा कारित ना हो तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थाना से आवश्यक पुलिस इमदाद फरमाने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

08/02/22
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम सेवरा, नकल जमाबन्दी ग्राम नीलका खाता संख्या 60 संवत् 2076–79, नकल भू–नक्शा ग्राम नीलका खसरा नंबर 257/0.8784, नकल भू–नक्शा ग्राम नीलका खसरा नंबर 254/0.0100, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 19.01.2022, फोटो प्रति आधार कार्ड अजीत सिंह, फोटो प्रति आधार कार्ड मनोज कुमार आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम नीलका पटवार हल्का ढाणी गैसकान के खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 254/0.01, 257/0.8784 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8884 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण ने आराजी मुतनाजा का तहसीलदार विराटनगर के आदेश कमांक–भू0अ0/2022/04 दिनांक 18.01.2022 की पालना में दिनांक 19.01.2022 को सीमाज्ञान करवाना चाहा, परन्तु सीमाज्ञान कार्यवाही में अज्ञात लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं हुई, परन्तु खातेदार को अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाना आवश्यक है। तथा खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम नीलका पटवार हल्का ढाणी गैसकान के खसरा नम्बर 254/0.01, 257/0.8784 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। तहसीलदार विराटनगर आवश्यकतानुसार पुलिस जाप्ता, जिसमें महिला पुलिस बल हो संबंधित थाना से प्राप्त कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति संबंधित थानाधिकारी को पालनार्थ दी जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

08/02/22

(सुनील शर्मा R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
विराटनगर (जयपुर)